



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09012026-269220
CG-DL-E-09012026-269220

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 104]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 7, 2026/पौष 17, 1947

No. 104]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 7, 2026/PAUSHA 17, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जनवरी, 2026

का.आ. 114(अ).— यतः, केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 4143 (अ), दिनांक 19 नवंबर, 2019 तथा का.आ. 1507 (अ), दिनांक 12 मई, 2020 द्वारा केरल राज्य में क्रमशः राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 (नया एनएच-66) के किलोमीटर 230.400 से किलोमीटर 258.800 (वेंगलम जंक्शन से रामनट्टुकारा जंक्शन खंड) तक के खंड और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 (नया एनएच-66) के किलोमीटर 258.800 से किलोमीटर 438.827 तक कर्नाटक/केरल सीमा- कासरगोड-कन्नूर-पोन्नानी- एडापल्ली खंड के शेष आंशिक खंड को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसके पश्चात् 'प्राधिकरण' कहा जाए) को सुपुर्द किया है;

अतः, अब, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दर अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 के नियम 3 (जिसे इसके पश्चात् "नियम" कहा जाए), के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा, केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 66 के के डिजाइन किलोमीटर 230.400 से डिजाइन किलोमीटर 335.850 (विद्यमान किमी 230.400 से विद्यमान किमी 349.260) तक (वेंगलम जंक्शन से कप्पिरिक्कुड सेक्शन) चार या अधिक लेन खंड के उपयोग के लिए नीचे दी गई तालिका 1 के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट वाहनों के प्रकार पर 90.078 किमी की निवल सड़क खंड लंबाई (सारणी-2) तथा 96.59 किमी (9.659 किलोमीटर की लंबाई वाली, सारणी-4) की समतुल्य संरचना लंबाई (60 मीटर से अधिक लंबाई वाली) के लिए यांत्रिक वाहनों पर सारणी 1 के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट दरों पर और 10 करोड़ रु. या उससे अधिक की लागत वाले 5.695 किमी लंबाई वाले बाईपास (सारणी-3) के लिए आधार दर के डेढ़ गुना दर पर शुल्क उद्घोषित करती है एवं प्राधिकरण को अपने

अधिकारियों के माध्यम से अथवा संविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क को संग्रहीत करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात:-

सारणी-1	
वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. आधार शुल्क दर (रुपए में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन अथवा हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के मालवाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस अथवा ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी निर्माण मशीनरी (एच.सी.एम.) अथवा अर्थ मूविंग उपस्कर (ई.एम.ई) अथवा बहुधुरीय वाहन (एम.ए.वी.) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात अथवा अधिक धुरी वाले)	4.20

1. इसके अंतर्गत उद्गृहीत और संग्रहीत शुल्क, ऐसे प्रयोक्ता शुल्क प्लाज़ाओं के अंतर्गत विनिर्दिष्ट निवल सड़क खंड लंबाई हेतु निम्नलिखित प्रयोक्ता शुल्क प्लाज़ाओं में देय और संदेय होगी, अर्थात;

सारणी 2		
उपयोगकर्ता शुल्क प्लाज़ा का स्थान (चेनेज़)	लंबाई (कि.मी. में) जिसके लिए शुल्क संदेय है [बाईपास की लंबाई (जिनकी लागत 10 करोड़ से अधिक) और 60 मीटर से अधिक संरचनाओं की लंबाई को छोड़कर]	दर जिस पर शुल्क संदेय है
एनएच-66 के किमी 250+300 (नया एनएच चेनेज़ 228+561) पर (कोझिकोड जिले में ओलावन्ना गांव के पास)	50.129 किमी	चार या अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%
किमी 297+540 (एनएच-66 का नया एनएच चेनेज़ 275+783) पर (मलप्पुरम जिले में वेटीचिरा गांव के पास)	39.949 किमी	

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित शुल्क प्लाज़ा पर 10 करोड़ रुपये या उससे अधिक लागत वाले बाईपास के उपयोग के लिए निम्नलिखित शुल्क भी देय होगा, जो ऐसे शुल्क प्लाज़ा के लिए विनिर्दिष्ट निवल बाईपास लंबाई के लिए होगा:

सारणी 3						
शुल्क प्लाज़ा का स्थान (चेनेज)	बाईपास का नाम	पर आरंभ होते हुए	पर मिलते हुए	बाईपास की लंबाई और लागत जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क संदेय है		दर जिस पर शुल्क संदेय है
				लंबाई (कि.मी. में)	लागत (करोड़ रुपए में)	
	एनएच-66 का कोट्टक्कल बाईपास	284.760	289.720	3.495 (*60 मीटर से अधिक संरचनाओं की लंबाई को छोड़कर)	592.43 करोड़	चार या अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 150%
	एनएच-66 का वलंचेरी बाईपास	300.400	304.580	2.200 (*60 मीटर से अधिक संरचनाओं की लंबाई को छोड़कर)	409.38 करोड़	

3. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित शुल्क प्लाज़ा (प्लाज़ाओं) पर 60 मीटर से अधिक लंबाई वाली निम्नलिखित अवसंरचनाओं के उपयोग के लिए 10 के समतुल्य गुणक द्वारा ऐसी अवसंरचनाओं की लंबाई को गुणा करके राजमार्ग की समतुल्य लंबाई में अवसंरचनाओं की लंबाई को परिवर्तित करके निम्नलिखित शुल्क भी देय और संदेय होगा:

सारणी-4			
शुल्क प्लाज़ा का स्थान (चेनेज)	सड़क की लंबाई के समान परिवर्तित बुनियादी ढांचा की लंबाई (कि.मी. में)	समकक्ष सड़क लंबाई (कि.मी. में)	दर जिस पर शुल्क संदेय है
एनएच-66 के किमी 250+300 (नया एनएच चेनेज़ 228+561) पर (कोझिकोड जिले में ओलावन्ना गांव के पास)	4.213	42.13	चार या अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%
किमी 297+540 (एनएच-66 का नया एनएच चेनेज़ 275+783) पर (मलप्पुरम जिले में वेट्टीचिरा गांव के पास)	5.446	54.46	

^विवरण निम्नानुसार है:

क्रम सं.	60 मीटर से अधिक लंबाई वाली संरचना			
	संरचना का स्थान (चेनेज किमी)		संरचना का प्रकार	लंबाई (किमी)
1	231.065	231.595	6 लेन फ्लाईओवर	0.530

2	232.594	233.078	नया 3 लेन पुल	0.483
3	235.296	235.482	नया 3 लेन पुल	0.185
4	235.790	236.330	6 लेन फ्लाईओवर	0.540
5	245.398	245.872	नया 3 लेन फ्लाईओवर + विद्यमान 2 लेन फ्लाईओवर	0.474
6	247.880	248.570	6 लेन फ्लाईओवर	0.690
7	250.659	250.787	नया 3 लेन पुल	0.129
8	251.615	251.945	6 लेन फ्लाईओवर	0.330
9	254.740	255.036	नया 3 लेन पुल	0.297
10	258.095	258.535	नया 3 लेन फ्लाईओवर + विद्यमान 2 लेन फ्लाईओवर	0.440
11	277.467	277.582	नया 3 लेन पुल + विद्यमान 2 लेन पुल	0.115
कुल (किमी 250+300 पर शुल्क प्लाज़ा के लिए)				4.213
1	284.94	285.51	6 लेन वायडक्ट	0.570
2	285.97	286.06	6 लेन फ्लाईओवर	0.090
3	287.84	288.420 (एलएचएस), 288.870 (एआरएचएस)	6 लेन वायडक्ट	0.805*
4	295.76	296.05	6 लेन वायडक्ट	0.290
5	296.92	297.01	6 लेन फ्लाईओवर	0.090
6	300.785	302.765	6 लेन वायडक्ट	1.980
7	310.530	310.799	6 लेन आरओबी	0.269
8	311.144	311.220	6 लेन फ्लाईओवर	0.076
9	311.720	312.097	6 लेन बड़ा पुल	0.377
10	323.344	323.701	6 लेन वायडक्ट	0.357
11	326.141	326.381	6 लेन बड़ा पुल	0.240

12	328.950 (एलएचएस), 328.932 (आरएचएस)	329.152 (एलएचएस), 329.335(आरएचएस)	नया 3 लेन पुल + विद्यमान 2 लेन पुल	0.302*
कुल (किमी 297.540 पर शुल्क प्लाजा के लिए)				5.446

*औसत लंबाई

4. गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत यांत्रिक वाहन के स्वामी और शुल्क प्लाजा से बीस कि.मी. की दूरी के भीतर निवास करने वाले व्यक्ति के लिए मासिक पास की दर वर्ष 2025-26 के लिए 340.00/-रुपए (तीन सौ चालीस रुपए मात्र) है और उक्त नियमों के प्रावधानों के अनुसार प्रतिवर्ष संशोधन के अधीन है।

5. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जाएगा, अर्थात्:

सारणी-5		
संदेय धनराशि	अनुमत एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	विधिमान्यता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	भुगतान के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए भुगतान शुल्क की राशि का दो-तिहाई	पचास	भुगतान की तारीख से एक मास

6. शुल्क प्लाजा स्थित होने वाले जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों (राष्ट्रीय परमिट के अधीन प्रचालित किए जा रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के वाहन हेतु निर्धारित दर की 50% होगी, बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के प्रयोग के लिए कोई सर्विस रोड या वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो।

7. संबंधित श्रेणी के वाहनों के लिए विनिर्दिष्ट अनुज्ञेय भार से अधिक भार लदे यांत्रिक वाहन का चालक या स्वामी या प्रभारी व्यक्ति, राष्ट्रीय राजमार्ग पर अतिभार लदे वाहन के प्रवेश के लिए टोल संग्रहण एजेंसी को ऐसी श्रेणी के वाहनों के प्रवेश के लिए, कथित नियमों के नियम 10 के उप नियम 1ए के अनुसार अनुप्रयोज्य शुल्क के समतुल्य शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा और वह राजमार्ग खंड का प्रयोग करने के लिए तब तक हकदार नहीं होगा जब तक ऐसे यांत्रिक वाहन से लदा अतिभार हटाया नहीं जाता।

8. सभी परिभाषाएं, यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, इनके अनुज्ञेय भार, छूट-प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क इत्यादि उक्त नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुरूप होंगी।

9. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा।

10. उपर्युक्त तालिका-1 में यथा-उल्लिखित, आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क की आधार दर के आधार पर यांत्रिक वाहनों से शुल्क की वास्तविक राशि और छूटों की गणना प्राधिकरण द्वारा खंड की पूरी हो गई लंबाई के आधार पर की जाएगी और उसे उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार प्रति वर्ष संशोधित किया जाएगा तथा तदनुसार उसे अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा के कम-से-कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

11. इस परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत 15,011.95 करोड़ रुपए है। चूंकि भूमि अधिग्रहण, उपयोगिता स्थानांतरण, पेड़ों को काटने, इत्यादि कामों को अभी पूरा किया जाना है, इसलिए, पूंजीगत लागत परिवर्तन के अध्यक्षीन है। प्राप्त प्रयोक्ता शुल्क के माध्यम से वसूल की गई पूंजीगत लागत का प्राधिकरण द्वारा रिकॉर्ड रखा जाएगा।

[फा. सं. केआरडीआईवी-20018/10/2024-पीआईयू कोड/ई-250205]

चेतना नंद सिंह, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION**

New Delhi, the 7th January, 2026

S.O. 114(E).—Whereas by notification of the government of India in the Ministry of Road Transport and Highways numbers S.O. 4143(E) dated the 19th November, 2019 and S.O.1507(E), dated the 12th May, 2020, issued under Section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch from Kilometer 230.400 to Kilometer 258.800 (Vengalam junction to Ramanattukara junction section) of National Highway No.17 (New NH-66) and the remaining partial stretches of Karnataka/Kerala border- Kasaragod- Kannur- Ponnani- Edappalli section from Km. 258.800 to Km. 438.827 of National Highway No.17 (New NH-66) in the state of Kerala respectively to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the "Authority");

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the "rules"), the Central Government hereby levies the fee at the rate specified in column (2) of the Table 1 for net road section length of 90.078 Km [Table -2] and for equivalent structure length (having length more than 60m) of 96.59 Km (having length of 9.659 Km [Table 4]) and at one and half times the base rate for bypasses having length of 5.695 km [Table 3] costing rupees ten crore or more on the type of vehicles specified in column (1) of the Table 1 below for use of four or more lane of (Venglam Junction to Kappirikkad section) from design kilometer 230.400 to design kilometer 335.850 (existing km 230.400 to existing km 349.260) of National Highway 66 in the State of Kerala and authorises the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:-

Table -1	
Type of vehicle	Base rate fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, or Light Motor vehicle	0.65
Light commercial vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two axles)	2.20
Three – axles commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi-Axle vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee to be levied and collected hereunder shall be due and payable at the User Fee Plaza for net road length specified for such User Fee Plaza namely :-

Table-2		
Location of User Fee Plaza (Chainage)	Length (in Km) for which fee is payable [Excluding length of bypass (costing >10 Cr.) and length of Structures >60 m length)]	Rate at which fee is payable
At Km 250+300 (new NH Ch.228+561) of NH-66 (Near Olavanna Village in Kozhikode District)	50.129 Kms	100% for four or more lane of the base rates mentioned in Table- 1 above
At Km 297+540 (new NH Ch.275+783 of NH-66 (Near Vettichira Village in Malappuram District)	39.949 Kms	

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the bypass costing Rs 10 crore or more at the following Fee Plaza for net bypass length specified for such Fee Plaza(s) : -

Table-3						
Location of Fee Plaza (Chainage)	Name of the Bypass	Taking off	Merging At	Length and cost of bypass for which additional fee is payable		Rate at which Fee is payable
				Length (in Km.)	Cost (in Rs.Crore)	
At Km 297+540 (new NH Ch. 275+783 of NH-66 (Near Vettichira Village in Malappuram District)	Kotakkal Bypass of NH 66	284.760	289.720	3.495 (*Excluding Structures >60 m length)	592.43 Cr	150 % for four or more lane of the base rates mentioned in Table-1 above
	Valancherry Bypass of NH-66	300.400	304.580	2.200 (*Excluding Structures >60 m length)	409.38 Cr	

3. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m at the following Fee Plaza(s), by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalisation factor of 10:

Table 4			
Location of Fee Plaza (Chainage)	Length of structures^ (in Km) to be converted into equivalent road length	Equivalent road length (in Km)	Rate at which Fee is payable
At Km 250+300 (new NH Ch. 228+561) of NH-66 (near Olavanna Village in Kozhikode District)	4.213	42.13	100% for four or more lane of the base rates mentioned in Table-1 above

At Km 297+540 (new NH Ch. 275+783 of NH-66 (near Vettichira Village in Malappuram District)	5.446	54.46	
---	-------	-------	--

^The details are as under: -

S.No.	Structure having length more than 60m			
	Location of Structure (Chainage Km.)		Type of Structure	Length (Km.)
1	231.065	231.595	6 Lane Flyover	0.530
2	232.594	233.078	New 3 lane Bridge	0.483
3	235.296	235.482	New 3 lane Bridge	0.185
4	235.790	236.330	6 Lane Flyover	0.540
5	245.398	245.872	New 3-lane Flyover+ Existing 2-lane Flyover	0.474
6	247.880	248.570	6 Lane Flyover	0.690
7	250.659	250.787	New 3 lane Bridge	0.129
8	251.615	251.945	6 Lane Flyover	0.330
9	254.740	255.036	New 3 lane Bridge	0.297
10	258.095	258.535	New 3-lane Flyover+ Existing 2-lane Flyover	0.440
11	277.467	277.582	New 3 lane Bridge + Existing 2 Lane Bridge	0.115
Total (For Fee Plaza at Km.250+300)				4.213
1	284.94	285.51	6 Lane Viaduct	0.570
2	285.97	286.06	6 Lane Flyover	0.090
3	287.84	288.420 (LHS), 288.870 (RHS)	6 Lane Viaduct	0.805*
4	295.76	296.05	6 Lane Viaduct	0.290
5	296.92	297.01	6 Lane Flyover	0.090
6	300.785	302.765	6 Lane Viaduct	1.980
7	310.530	310.799	6 Lane ROB	0.269
8	311.144	311.220	6 Lane Flyover	0.076
9	311.720	312.097	6 Lane Major Bridge	0.377
10	323.344	323.701	6 Lane Viaduct	0.357
11	326.141	326.381	6 Lane Major Bridge	0.240
12	328.950 (LHS), 328.932 (RHS)	329.152 (LHS), 329.335(RHS)	New 3 lane Bridge + Existing 2 Lane Bridge	0.302*
Total (For Fee Plaza at Km. 297.540)				5.446

*Avg length

4. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the fee plaza is Rs.340.00 (Rupees Three Hundred and Forty only) for the year 2025-26 and is subject to revision every year as per the provisions of the said rules.
5. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely:-

Table-5		
Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two – third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One time from date of payment

6. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the prescribed rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

7. The driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to the fee specified in sub-rule 1A of rule 10 of the said rules, and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

8. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the rules.

9. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rule 12 of the said rules.

10. Based on the base rate of fee per kilometer for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper in English and vernacular language.

11. The estimated capital cost of the project is Rs. 15,011.95 Crores. The capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting, etc. are yet to be completed. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realised.

[F. No. KRDIV-20018/10/2024-PIU Kozhikode/E-250205]

CHETNA NAND SINGH, Jt. Secy.